


फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 (31.12.09)
अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम प्रो. नन्द किशोर धनोतिया वर्तमान धारित पद सहायक प्राध्यापक (भूगोल) प्रभारी प्राचार्य
वर्तमान वेतन - 13260/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख - 1/4/2010

1	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	5	6	7	8
	उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है					
जिला - मन्दासौर तह- शामगाढ़ नगर शामगाढ़	1. भवन	भूमि	4,00,000 3,00,000	श्रीमती रामकुंवर बाई (माता) 2. श्रीमती अयोध्या धनोतिया (पति)	कय करके कय करके	- -	- -

• जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
 • ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 हस्ताक्षर 

• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।
 रिपब्लिकी- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(5) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा पूर्वीय श्रेणी सेवा के तत्सम सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उसके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अंकित अथवा उसे लिखित में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें ।
नाम - प्रो. एन.के. धनोतिया
पद - सहायक प्राध्यापक भूगोल
विभाग - उच्च शिक्षा विभाग
(शास. महाविद्यालय गरोह)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 131-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – प्रो. एच.एस. गौड़ वर्तमान धारित पद – सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

वर्तमान वेतन – 12925

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – 01.04.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला-मन्दसौर तह.- भानपुरा नगर-भानपुरा		भूखण्ड (25 x 50)	2,50,000/-	स्वयं के नाम	कय करके	-	-

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – प्रो. एच.एस. गौड़
पद – सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र
विभाग – शास0 महाविद्यालय
गरोठ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 131-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – डॉ. मंशाराम धाकड़

वर्तमान धारित पद – सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

वर्तमान वेतन – 12925

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – 01.01.10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला—मन्दसौर तह. – गरोठ नगर— गरोठ	भवन		5,00,000	श्रीमती निर्मला देवी धाकड़ (पत्नि)	भूखण्ड कय कर बनाया गया	—	—

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:— म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – डॉ. मंशाराम धाकड़
पद – सहा. प्राध्यापक वाणिज्य
विभाग— शास. महाविद्यालय गरोठ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 1/31-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – श्री ईश्वरसिंह सिसोदिया

वर्तमान धारित पद – मुख्य लिपिक

वर्तमान वेतन – 15310

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – 01.05.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:— म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – श्री ईश्वरसिंह सिसोदिया
पद – मुख्य लिपिक
विभाग— शास. महाविद्यालय गरोठ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 131-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – श्री खेमराज परमार वर्तमान धारित पद – सहायक ग्रेड – 3

वर्तमान वेतन – 9340

अगली वेतनवृद्धि की तारीख –01.10.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला-मन्दसौर तह.-सीतामऊ गांव-कोटड़ीमांडा	गृह भवन	पांच बीघा	2,50,000	श्रीमती मांगीबाई (माता)	विरासत	10,000	—

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – श्री खेमराज परमार
पद – सहायक ग्रेड-3
विभाग- शास. महाविद्यालय गरोठ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 1/31-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – श्री सुनील कुमार सोनी वर्तमान धारित पद – भृत्य

वर्तमान वेतन – 6050

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – निरंक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला—मन्दसौर तह.—सीतामऊ गांव—लदूना	1. भवन	2. भूखण्ड (15x 50)	3,00,000 2,00,000	1. श्रीमती कौशल्याबाई सोनी (माता) 2. स्वयं	विरासत कय करके	— —	— —

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:— म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – श्री सुनील कुमार सोनी
पद – भृत्य
विभाग— शास. महाविद्यालय गरोठ

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009 1/31-12-09 1/2

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – श्री मुन्नालाल निनामा

वर्तमान धारित पद – चौकीदार

वर्तमान वेतन – 7810

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – 01.08.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:— म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

नाम – श्री मुन्नालाल निनामा
पद – चौकीदार

विभाग— शास. महाविद्यालय गरोठ

dk; kŷ; & i kpk; L]Jh , l -, u-mfn; k 'kkl dh; egkfo / ky;]xjkB ¼ftyk enl kŷ ½

E-mail Adders - hegcgarmen-mp @mp.gov.in..

फोन नं. 07425-238966

क्रमांक / 332 / 2010

गरोट, दिनांक 6 / 05 / 10

i fr]

i kpk; L

'kkl dh; ¼vxz kh½ LukrdkRrj egkfo | ky;

eUnl kŷ

fo" k; %&

शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति का विवरण।

l nhk%&

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन का पत्र क्रमांक 795 / आउशि /

शाखा-3 / 10 भोपाल दिनांक 04 / 05 / 10।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख हैं कि चाही गयी अचल सम्पत्ति की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आपकी ओर ई-मेल से संलग्न प्रेषित हैं।

l ayXu & प्रारूप

i kpk; L